42/1

नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0 संख्या 01/16 सन् 2016

बउनवानीः—अभिषेक बैरवा पुत्र कंवरलाल बैरवा निवासी इन्द्रधनुष फार्म कुण्डेरा बस स्टेण्ड के पास रणथम्भोर रोड तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कंवर लाल पुत्र चिमन लाल बैरवा
2. सुनीता पुत्री कंवर लाल बैरवा
3. अनिता पुत्री कंवर लाल बैरवा समस्त निवासी इन्द्रधनुष फार्म कुण्डेरा बस स्टेण्ड के पास रणथम्भोर रोड़ तहसील सवाईमाधोपुर
4. तहसीलदार (भू0अभिलेख) तहसील सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 2351 दिनांक 15.5.2015 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री कुंज बिहारी शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील रेस्पो0 1 लगायत 3

—: निर्णय :— दिनांक 11.2..2017

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 2351 दिनांक 15.5.2015 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलबी किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य है रेस्पों. संख्या 1 अपीलान्ट के पिता है एवं रेस्पो. संख्या 2 व 3 बहिने है। मृतका कमलेश राजरानी रेस्पो. संख्या 1 की पत्नि है तथा अनिल, सुनिता,अनिता,अभिषेक एवं अल्का की माता है। यह कथन भी किया अपीलान्ट अपने बिजनेस के सिलसिले से अनेक बार सवाईमाधोपुर से बाहर रहता है एवं अनिल और अल्का भी राजकीय सेवा मे होने के कारण बाहर रहते है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रेस्पो. संख्या 1,2,3 ने एक फर्जी वसीयत अपने पक्ष में उन आराजी की बनायी है जो अपीलान्ट के दादा की सम्पति है जो कि टोंक मे स्थित थी को बेचकर रेस्पो. संख्या एक ने स्वर्गीय श्रीमति कमलेश राजरानी अपीलान्ट की (माता) के नाम खरीदी है उस सम्पत्ति की फर्जी वसीयत रेस्पो. संख्या एक लगायत 3 ने बनायी जिसको निरस्त करवाने हेतु दीवानी वाद न्यायालय में लम्बित है अपीलान्ट ने उक्त वाद लम्बित होने की सूचना जरियें रजिस्टर्ड डाक रेस्पों. संख्या 4 तहसीलदार सवाईमाधोपुर को दिनांक 23.4.2015 को प्रेषित कर दी थी परन्तु फिर भी दिनांक 15.5.2015 को आदेश जैर नामा0 तस्दीक कर दिया जिसके विरूद्ध श्रीमान के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। यह कथन भी किया कि नामा0 खोलने से पूर्व सर्वप्रथम कब्जा देखा जाता है मृतक खातेदार के वारिसान के हक में नामा0 खोलते समय मौके पर जाकर सभी वारिसान से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी वसीयत के आधार पर नामा0 खोलने से पहले वसीयत का सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र करना चाहिए था किन्तु इस तथ्य को नजर अन्दाज कर गलत प्रकार से नामा0 खोला गया है और उसे तस्दीक किया गया है जोकि अधीनस्थ न्यायालय की अहम भूल है। यह कथन भी किया कि वसीयत गृहिता मृतक की जायज संतान एवं पति होना बताया है, तब वसीयत करने की क्या आवश्यकता पडी है स्वतः ही नामा0 वारिसान के पक्ष मे भरा जाना चाहिए वसीयत को आधार बनाने का अर्थ है कि शेष वारिसान का हक प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना नामा0 भरना विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से नामा. निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि दिनांक 11.5.2015 को पटवारी हल्का ने नामा0 भरकर पेश किया जिस पर बिना सुनवायी का अवसर दिये एवं बिना जॉच के दिनांक 15.5.2015 को नामा0 स्वीकार कर लिया जबकि अपीलान्ट ने पूर्व में अपनी आपत्ति जरियें रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी थी ऐसी स्थिति में नामा0 भरकर स्वीकार करना स्पष्ट करता है कि नामा0 विधि के प्रावधानों के विपरीत भरा गया है। यह कथन भी किया कि यदि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट यह स्पष्ट रूप से साबित कर देता कि

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वसीयत फर्जी है क्योकि मृतका कमलेश राजरानी ने पूर्व में एक दावा न्यायालय में पेश किया था जिसमे मृतका के अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार गोयल एवं आबिद अली थे मृतका द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर में प्रस्तुत किये गये दावें में जो हस्ताक्षर है और विवादित वसीयत मे जो हस्ताक्षर है वे बिलकुल अलग–अलग है यहाँ तक की मृतका का पूरा नाम वसीयत में अंकित है परन्तु हस्ताक्षर मे आधा नाम ही दर्ज है जो कि कूटरचित हस्ताक्षर बनाये गये है जो कि दस्तावेजों से साबित है इस प्रकार फर्जी वसीयत को खारिज करवाने बाबत दावा प्रस्तुत करने के पश्चात गुप्त रूप से नामा0 खोला गया है जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 8.12.2015 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मयाद मय लिमिटेशन एक्ट दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद मानते हुए अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के विपरीत विधि विरूद्ध पारित किया गया आदेश जैर नामा0 संख्या 2351 दिनांक 15.5.2015 का खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पो. ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है क्योकि विवादित नामा0 श्रीमति कमलेश राजरानी द्वारा अपनी आराजीयात का रेस्पो0 के पक्ष में दिनांक 15.2.2013 को की गयी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह कथन भी किया कि जहाँ तक रजिस्टर्ड वसीयत को खारिज करवाने बाबत सिविल न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा दायर किये गये वाद का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण मे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का दिनांक 13.1.2016 को खारिज कर दिया है तथा वसीयत फर्जी होने अथवा सही होने का निर्णय सिविल न्यायालय मे जैरकार वाद मे होना अभी शेष है। ऐसी स्थिति में उक्त संबंध में सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पा0 द्वारा निवेदन किया है।

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित नामा0 संख्या 2351 दिनांक 15.5.2015 रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15.2.2013 के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है तथा उक्त वसीयतनामा को निरस्त करवाने **बाबत** अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय मे वाद दर्ज करवाया है जो वर्तमान में जैरकार है। चूंकि आदेश जैर नामा0 रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दर्ज फैसल किया है तथा उक्त नामा0 से संबंधित वसीयत को खारिज करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय सिविल न्यायालय मे जैरकार है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील न्याय संगत प्रतीत होता है एवं उक्त वसीयत सही अथवा गलत होने संबधी तथ्यों की पुष्टि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अभी यहाँ मे जैरकार वाद में तय की जानी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है किन्तु न्यायहित में माननीय सिविल न्यायालय मे जैरकार वाद के निर्णय होने तक विवादित नामा0 सें संबंधित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत रेस्पों. को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(के0सी0वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर